




राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)



क्रमांक: एफ 5(7) प्रा.शि./एमडीएम/अन्नपूर्णा दूध योजना /2018-19/ पार्ट-III

791-75

जयपुर 26.9.19


1. समस्त जिला कलक्टर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।

विषय:- मिड डे मील कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित "अन्नपूर्णा दूध योजना" में दूध की दरों में अभिवृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

मिड डे मील कार्यक्रम में संचालित "अन्नपूर्णा दूध योजना" हेतु वित्त विभाग द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दूध क्रय करने की पूर्व निर्धारित दरों में 2 रु. प्रति लीटर की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है। शहरी क्षेत्र में 40 रु. प्रति लीटर के स्थान पर 42 रु. प्रति लीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 35 रु. प्रति लीटर के स्थान पर 37 रु. प्रति लीटर अधिकतम दर से दूध क्रय किया जा सकेगा। मौसम के अनुसार दूध क्रय की दरें परिवर्तित होती रहती हैं। अतः दूध क्रय की वास्तविक दर (अधिकतम राशि के अधीन) के अनुसार ही भुगतान किया जावे। योजना के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

उपरोक्त दरें दिनांक 01.09.2019 से प्रभावी होंगी। यह निर्देश वित्त विभाग की आई डी संख्या 151900671 दिनांक 16.09.2019 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।


(डॉ. एन.के. गुप्ता)

आयुक्त
मिड डे मील

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री, शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) स्वतंत्र प्रभार, राजस्थान, जयपुर।
- 3 उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, (वित्त) राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 5 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
- 6 निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान एवं अति. आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 7 प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जयपुर।
- 8 समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
- 9 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक को प्रेषित कर लेख है कि नवीन दरों के अनुसार वित्तीय वर्ष में आवश्यक राशि की गणना कर शीघ्र अवगत करावें ताकि वित्त विभाग से यथा समय अतिरिक्त राशि का प्रावधान करवाया जा सके।
- 10 समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
- 11 पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी PEEO(समस्त)।
- 12 प्रभारी आईटी सैल कार्यालय हाजा को ई-मेल एवं विभागीय वेब-साईट पर अपलोड हेतु।
- 13 रक्षित पत्रावली।



(हेम प्रभा)

अति.आयुक्त (वित्त)

मिड डे मील